जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

आरईओ-181

क्रमांक:जेपीडी/मुअ(वाणिज्य)/अअ (आरई)/अधि.अ.(आर.ई-प)/प.1201/प्रे. 1473 जयपुर,दिनांक 2/11/07

आदेश

विषय:- मूर्ति खातेदारी में बिजली कनैक्शन देने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति की दिनांक 22.10.2007 को आयोजित 110वीं बैठक में लिए गए निर्णय की अनुपालना में आदेश दिए जाते हैं कि:-

तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के आदेश संख्या आर.ई.ऐ.-122 दिनांक 26-6-1998 में प्रावधान है कि जो कृषि भूमि, मूर्ति मन्दिर के नाम से है तथा लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है, ऐसी स्थिति में सहायक आयुक्त, देवस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के उपरान्त ही धारक के माध्यम से मन्दिर/मूर्ति विद्युत कनैक्शन दिया जायें। इस सम्बन्ध में कृषि कनैक्शन नीति-2004(संशोधित 31/3/2007) में कोई प्रावधान नही हैं।

अत: मूर्ति खातेदारी कृषि कनैक्शन देने हेतु तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के आदेश संख्या आर.ई.ऐ.-122 दिनांक 26-6-1998 के अनुसार ही प्रकिया वर्तमान में भी अपनाई जाएं।

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1-उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।

2-प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.जोधपुर को उनके द्वारा उक्त तरह के आदेश प्रसारित करने हेतु ।

3-निदेशक (वित्तीय) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।

4-मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य/पवस-जयपुर जोन/आर.पी.)/कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर/कोटा ।

5-अधीक्षण अभियन्ता (पवस/प्लान/विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.---------।

6-प्राविधिक सहायक,राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।

7-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.(राम बाग सर्किल)जयपुर ।

8-मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी (   ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।

9-अधिशाषी अभियन्ता(पवस/ग्रिवीन्सेज/एमआईएस) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.----

10-विशिष्ठ सहायक,सलाहकार (एम), मुख्य मंत्री,सचिवालय,राज0सरकार,जयपुर ।

11-विद्युत विभागीय सलाहकार संभागीय आयुक्त मिनि सचिवालय जयपुर।

12-जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।

13-निजी सचिव,मा0 उर्जा मंत्री,राजस्थान सरकार,जयपुर को मा0 उर्जामंत्री के सूचनार्थ ।

C:\REO Order 140\REO 19..
44